

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर


-:: आदेश ::-

कं./क्यू/सी.जे.एम./2022

जबलपुर, दिनांक-25.02.2022


माह मार्च 2022 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करें।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री वंदना सोनी	2.03.2022	13	सुश्री अदिति शुक्ला	16.03.2022
2	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा	3.03.2022	14	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	21.03.2022
3	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय	4.03.2022	15	श्रीमती नूतन रावते	22.03.2022
4	श्री अरविंद सिंह	5.03.2022	16	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	23.03.2022
5	श्रीमती शक्ति वर्मा	7.03.2022	17	सुश्री श्रद्धा पांडेय	24.03.2022
6	श्री देवदत्त	8.03.2022	18	श्री तन्मय सिंह	25.03.2022
7	श्रीमती तबरस्सुम खान	9.03.2022	19	श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर	26.03.2022
8	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री	10.03.2022	20	सुश्री किरण मलिक	28.03.2022
9	श्रीमती नीलिमा देवदत्त	11.03.2022	21	श्री सौरभ गोस्वामी	29.03.2022
10	श्री अरविंद सिंह टेकाम	12.03.2022	22	श्रीमती गजल पाहवा	30.03.2022
11	श्री सुरेश सिंह जमरा	14.03.2022	23	श्री अर्जित दुबे	31.03.2022
12	श्री अंकुर तिवारी	15.03.2022			

  
(यशवंत मालवीय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(YASHWANT MALVIYA)  
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE  
JABALPUR (M.P.)

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को सुश्री अदिति शुक्ला जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश सुश्री अदिति शुक्ला जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगे।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर कक्ष की ओर सूचनार्थ ।

  
(यशवंत मालवीय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर  
(YASHWANT MALVIYA)  
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE  
JABALPUR (M.P.)